



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225284
CG-DL-E-19022021-225284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]
No. 83]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2021/माघ 30, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2021/MAGHA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2021

सं. 08/2021- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 124(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित “एनीलीन” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप शीर्षक 2921 41 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जून, 2020, जिसे 12 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 20/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 29 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 474 (अ), दिनांक 29 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2020 से विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/42/2019-डीजीटीआर, दिनांक 20 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 20 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में प्राथमिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि, -

- (i) विषयगत वस्तु को विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- (ii) इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के पाटित आयात के कारण हुई है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र. सं.	उप शीर्षक	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2921 41	एनीलीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	वाॅनहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी, लिमिटेड	36.90	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	2921 41	एनीलीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	उपर्युक्त संयोजन को छोड़कर कोई अन्य संयोजन	121.79	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	2921 41	एनीलीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	121.79	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस सूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात् 29 जुलाई, 2020 से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) तक लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा:

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की तारीख अर्थात् 29 जनवरी, 2021 से लेकर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने के एक दिन पूर्व तक लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/80/2020—टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2021

No. 08/2021 -Customs (ADD)

G.S.R. 124(E).—Whereas, in the matter of “Aniline” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff sub-heading 2921 41 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* notification No. 6/42/2019-DGTR, dated the 12th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th June, 2020, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country.

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods with effect from 29th July, 2020 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2020-Customs (ADD), dated the 29th July, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 474 (E), dated the 29th July, 2020.

And, whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/42/2019-DGTR, dated the 20th January, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 20th January, 2021, while confirming the preliminary findings, dated the 12th June, 2020, has come to the conclusion that,-

- (i) the product under consideration has been exported to India from the subject country below its normal value;
- (ii) the Domestic Industry has suffered material injury;
- (iii) material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Sub-heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2921 41	Aniline	China PR	Any country including China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	36.90	MT	US\$
2.	2921 41	Aniline	China PR	Any country including China PR	Any combination other than the combination specified above	121.79	MT	US\$
3.	2921 41	Aniline	Any country except China PR	China PR	Any	121.79	MT	US\$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 29th July, 2020, and shall be payable in Indian currency:

Provided that the said anti-dumping duty shall not be levied for the period commencing from the date of the lapse of the provisional anti-dumping duty, that is, the 29th January, 2021 upto the preceding day of the publication of this notification in the Official Gazette.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/80/2020-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.